रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 1989/कार्तिक 4, 1911
No. 563] NEW DELHI, THERSDAY, OCTOBER 26, 1989/KARTIKA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1989

सा० का० नि० 928(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर 1 नवम्बर, 1989 से आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की एतद्द्वारा स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के खण्ड 3 की धारा (ग) के प्रयोजन से "नियत दिन" होगा।

[संख्या ए-11019/9/88-(i)-एटी.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th October, 1989

G.S.R. 928 (E); In exercise of the pawers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government on receipt of a request in this behalf from the Government of Andhra Pradesh hereby establishes the Andhra Pradesh Administrative Tribunal with effact from the 1st day of November, 1989 which shall be the 'appointed day' within the meaning of clause (c) of section 3 of the Act.

[No. A-11019/9/88 (i)-AT]